

I/19134/2022



जीविका
गरीबी उन्मूलन हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brlp.in



कार्यालय आदेश

8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीविका के प्रखंड एवं संकुल स्तरीय संघों के स्तर पर महिला सशक्तीकरण से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अपेक्षित है। इन कार्यक्रमों में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी :–

1. जीविका दीदियों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी।
 2. संकुल स्तरीय संघों की बैठकों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा की जानी है। यह चर्चा महिला दिवस के पूर्व आयोजित बैठकों में की जानी है।
 3. वातावरण निर्माण एवं जागरूकता हेतु जीविका से सम्बंधित सुसंगत गीतों (बढ़ते कदम) का गायन एवं प्रस्तुति।
 4. सभी संकुल स्तरीय संघ स्तर पर जागरूकता रैलियों का आयोजन।
 5. जिस प्रखंड में अभी तक संकुल स्तरीय संघ गठित नहीं हैं, वहाँ प्रखंड स्तर पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन की जानी है।
 6. प्रखंड/पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले सामुदायिक संवर्ग के पाँच सदस्यों को संकुल स्तरीय संघ द्वारा सम्मान।
 7. पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम संगठनों को सम्मान।
 8. कार्यक्रम के दौरान संकुल स्तरीय संघ स्तर पर महिलाओं के लिए उपयुक्त खेल/रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
 9. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट रथान प्राप्त करने वाली सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा।
 10. संकुल स्तरीय संघ स्तर के कार्यक्रमों में संकुल स्तरीय संघ नोडल/प्रखंड मेंटर/प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी है।
- प्रत्येक संकुल स्तरीय संघ को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने हेतु 5000/- (पाँच हजार रुपये) की राशि अनुमोदित की जाती है। यह राशि जिला के संचार मद से व्यय की जाएगी।
 - प्रबंधक—संचार, संकुल स्तर/प्रखंड स्तर पर होने वाले समस्त कार्यक्रम के विषय में विस्तृत प्रतिवेदन एवं चित्र एक सप्ताह के अन्दर राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(राजीव कुमार सिंह)
प्रशासी पदाधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. सभी पदाधिकारी— राज्य कार्यालय
2. सभी पदाधिकारी— जिला कार्यालय
3. सभी पदाधिकारी—प्रखंड कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।